न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

प्रा0 प0 संख्या 76 / 2020

श्रीमति सुमित्रा देवी पत्नी गोकूल प्रसाद जाति सैनी माली निवासी पीपली नगर दादली तन राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर ।

–प्रार्थीया–

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र पोखरमल जाति सैनी माली निवासी राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर
2. मनीषा वर्मा पत्नी श्री मनोज वर्मा जाति सोनी निवासी देवीपुरा तिलक नगर, तहसील व जिला सीकर
3. भगवानाराम पुत्र नामालूम जाति सैनी–माली निवासी ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. धर्मपाल पुत्र नामालूम जाति सैनी –माली निवासी नला का बालाजी तहसील व जिला सीकर
5. तहसीलदार, सीकर

– अप्रार्थीगण –

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –वकील प्रार्थीया– श्री रामप्रकाश गुप्ता
वकील अप्रार्थीगण – श्री सांवरमल चौधरी, गौरी शंकर सैनी

निर्णय

दिनांक : 22-7-2022

वकील प्रार्थीया ने एक दावा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का मय आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया । आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस

प्रकार से है कि ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1727/58 रकबा 1.5197 है0 अवस्थित है। जिसकी खातेदार काश्तकार प्रार्थीया है। खसरा नम्बर 1728/58 रकबा 0.1603 है0 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 व खसरा नम्बर 1169/775 रकबा 0.29 है0 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 है जिसने अपनी उक्त भूमि में से पश्चिमी तरफ की 0.0802 है0 भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.6.2015 को प्रार्थीया को दे दी और इसके बदले में उक्त शंकरलाल ने प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बर 58 रकबा 1.68 है में से उत्तरी पूर्वी कोने की 0.1603 है0 भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.6.2015 को लेकर अपनी भूमि खसरा नम्बर 1169/775 में शामिल कर ली । बाद में उक्त 0.1603 है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को दे दी जिस पर आवागमन का रास्ता खसरा नम्बर 1169/775 की तरफ से पूर्व की भांति है। आवागमन हैतु रास्ते की लिखावट दिनांक 13.5.2019 को निष्पादित हुई जिससे प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बाध्य हैं। खसरा नम्बर 1169/775 रकबा 0.29 है0 का पश्चिमी भाग का रकबा 0.0802 है0 प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 से क्रय किया है जिसका नामा0 रकबा 1 है0 से कम का होने के कारण नहीं खुल पाया है। जिसके कारण प्रार्थीया के अधिकारों पर कोई अन्यथा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती फरमाई जावे। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 भू–सम्पदा की खरीद फरोख्त करने/करवाने वाले है जिन्होने गत सप्ताह अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को भूमि खरीदने का सौदा उनसे होना बताकर भविष्य में प्लाट काटकर बेचने की योजना बताकर प्रार्थीया की भूमि में से रास्ता मांगा, जिस बाबत प्रार्थीया व उसके परिवार वालो के इन्कार कर देने से वे नाराज़ हो गये व दिनांक 5.7.2020 को पुनः आकर प्रार्थीया की भूमि का एक भाग लेने का प्रस्ताव रखा जिसका इन्कार करने पर धमकी दी कि वे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वाली भूमि के पश्चिमी व दक्षिणी सींव पर तारबन्दी की सीमाबंदी को तोड़कर प्रार्थीया की भूमि पर जबरन रास्ता निकालेगें। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 3 व 4 प्लॉटिंग कर प्रार्थीया की भूमि में से जबरन रास्ता निकाल कर हस्तक्षेप व दखल करने की कोशिश करने को उन्हे कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीया की भूमि पर अनाधिकृत प्रवेश करने का अधिकार उन्हे नहीं है फिर भी वे ताकत व असामाजिक तत्वों के बल पर ऐसे अनुचित कृत्य करने पर आमादा है और मौके पर कानून व शांति व्यवस्था को भंग कर प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों का हनन कर सकते है। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादित भूमियों में प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1727/58 एवं 1169/775 का खरीदशुदा रकबा 0.0802 है0 पर किसी प्रकार से घुसपैद करने व कब्जे काश्त में किसी प्रकार से दखलदाजी नहीं करें।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्यां 1 ता 4 जरिये वकील उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 5 उपस्थित नहीं रहे इसलिये इनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने जवाब प्रस्तुत किया। अपने जवाब में प्रार्थीया के कथनों का खण्डन करते हुऐ कथन किया कि प्रतिवादीनी संख्या 2 की खातेदारी भूमि में आवागमन हैतु भी रास्ता खसरा नम्बर 1169/775 की पश्चिमी दिशा से होकर ही रहा है। रकबा 0.0802 को नामा0 वादिया के नाम से इस कारण भी दर्ज हो पाया क्योंकि उक्त रकबा सन् 2015 से ही रास्ते के रूप में काम आ रहा है । जिससे कोई भी आवागमन करने हेतु स्वतंत्र है। रास्ते की भूमि का नामा0 विधि अनुसार प्रतिबंधित है। प्रतिवादी संख्या 3 ने वादिया की भूमि खसरा नम्बर 1727/58 में से एक भूखण्ड क्रय कर रखा है जिसमें वह 1169/775 की पश्चिमी दिशा में अवस्थित रास्ते में से ही होकर आवागमन करता है। अपने विशेष कथन में अंकित किया कि वादीया माननीय न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आई है उसने न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है। वादिया द्वारा रकबा 0.0802 है0 का चाहा गया अनुतोष देय नहीं है क्योंकि उक्त रकबा स्वीकृत रूप से रास्ते निमित खरीदा गया है तथा रास्ते के काम ही आ रहा है। वादिया द्वारा अपनी भूमि खसरा नम्बर 1727/58 पर प्लॉट काट रखें है जिनमें से वह अधिकतर बेचान भी कर चुकी है। वादिया प्रस्तुत मुकदमे की आड़ में उक्त रासते को बंद करके प्रतिवादिया संख्या 2 व 1727/58 के प्लाटो को खरीदेने वाले लोगों का अवागमन बंद करना चाहती है जिसकी कानूनन उसे इजाजत नहीं दी जा सकती है। वादिया ने भूमि खसरा नम्बर 1727/58 में श्री कृपा विहार कॉलोनी के नाम से कॉलोनी काट रखी है जिसमें आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 1169/775 की पश्चिमी दिशा में अवस्थित रास्ते से होकर ही प्लाटों में आवागमन किया जाता है। सर्वथा मिथ्या एवं निराधार, मनगंढत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादीया संख्या 1 ने अपने जवाब में कथन किया है कि खसरा नम्बर 1169/775 रकबा 0.29 है0 में से 0.0802 है0 भूमि का बेचान जवाबदाता ने वादिया के पक्ष में रास्ते की भूमि हेतु ही किया है। जिसको रास्ते के रूप में ही काम में लिया जा रहा है। वादिया स्वयं ने लिखावट की शर्तों का उल्लघंन करते हुऐ बंद कर रखा है।

बहस वकील उभयपक्ष सूनी गई जो मुताबिक आवेदन, जवाब आवेदन रही। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निर्णय के लिये तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णित क्षति पर विचारण किया जाता है। जो निम्न प्रकार से हैं–

उपखण्ड अधिकारी सीकर

1. **प्रथम दृष्टया मामला–** प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1727/58 रकबा 1.5197 है0 अवस्थित है। जिसकी खातेदार काश्तकार प्रार्थीया है। खसरा नम्बर 1728/58 रकबा 0.1603 है0 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 व खसरा नम्बर 1169/775 रकबा 0.29 है0 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 है। खसरा नम्बर 1169/775 में से 0.0802 है0 की भूमि प्रार्थीया द्वारा अप्रर्थी संख्या 1 से क्रय की गई है। जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई है। विक्रय पत्र में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि उक्त रकबा 0.0802 है0 रास्ते के प्रयोग हेतु विक्रय किया जा रहा है। प्रार्थीया ने स्वयं ने अपने आवेदन की मद संख्या 2 में यह कथन किया है कि रास्ते के आवागमन बाबत लिखावट की गई है। प्रस्तुत नक्शे से भी यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1169/58 रकबा 0.0802 आम रास्ते से लगता हुआ है एवं रास्ते की सेफ में है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा खसरा नम्बर 1169/58 में से 0.0802 है0 की भूमि रास्ते के लिये ही क्रय की गई थी जो विक्रय पत्र से भी प्रमाणित है। उपरोक्त विवचेन के आधार पर प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष में कतई प्रमाणित नहीं होता है।

2. सुविधा का संतुलन – प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में प्रमाणित नहीं है साथ ही विवादित भूमि रास्ते के लिये उपयोग के लिये क्रय की गई है जो सभी के आवागमन के लिये होता है। जिसे बंद करने से सभी को असुविधा होती है। उक्त भूमि रास्ते के लिये क्रय किये जाने के कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है।

3. अपूर्णिय क्षति – रास्ते को बंद करने पर अपूर्णीय क्षति प्रार्थीयों को नहीं होकर अप्रार्थीगण को होगी। प्रार्थीया को किसी प्रकार से अपूर्णिय क्षति नहीं हो रही है क्योंकि उक्त भूमि रास्ते के उपयोग के लिये क्रय की गई थीं। इस प्रकार अपूर्णिय क्षति का सिद्वांत भी प्रार्थीया के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

4. निष्कर्ष– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया के पक्ष में कोई भी बिन्दु प्रमाणित नहीं है तथा वह स्पच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आई है। अतः वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1169/775, 1728/58, 1727/58 वाके ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर पर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थीया का आवेदन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.7.22 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उपखण्ड अधिकारी- सीकर